पूर्ण बेंच

डी. एस. तेवाना, एस. एस. देवान और एम. एम. पंच्ही, न्यायाधीशों के समक्ष।

सुखदेव सिंह — प्रार्थी

बनाम

संघ शासित प्रदेश, चंडीगढ़, — प्रतिक्रियाओं.

जुर्माना मिस्क। नंबर 1798-एम ऑफ 1986।

30 मई, 1986।

आतंकवादी और व्यवधानकारी गतिविधियों (निवारण) अधिनियम (XLVI ऑफ — धाराएँ 2 (क) और (एफ), 3, 4 और 17 (5) — भारतीय दण्ड संहिता (XLV ऑफ 1860) — धाराएँ 124-ए और 153-ए — दण्ड प्रक्रिया संहिता (II ऑफ 1974) -— धाराएँ 437 और 439 — प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम (XXV ऑफ 1967) — धाराएँ 1 (डी) और 7 — एक अखबार में एक लेख का प्रकाशन — व्यक्ति वास्तव में विचार संचालन कर रहा है।

प्रकाशित किये जाने वाले मुद्दों का नियंत्रण करने वाला अलग होता है जो नाम संपादक के रूप में प्रिंट में प्रकट होता है — जो व्यक्ति प्रकाशन का नियंत्रण करता है — क्या उसे एक आपराधिक आरोप का उत्तर देना पड़ सकता है।

धारा 3 (3) और 4 (2) के तहत दण्डित किया जा सकता है — अभियुक्त जमानत चाहते हैं — जमानत प्रदान करने के मामले में अनुमानित कानून नियमों को पालन करना चाहिए — एक अखबार में प्रकाशित किया गया लेख जो अपमानजनक माना जाता है — व्याख्या का तरीका — लेख — क्या एक साधारण अखबार पाठक जैसा समझा जाना चाहिए।

निर्धारित, (बहुमत से एस. एस. देवान और एम. एम. पंच्ही, न्यायाधीशों के अनुसार, डी. एस. तेवाना, न्यायाधीश (अन्यथा) कि प्रेस और पुस्तकों के पंजीकरण अधिनियम की धारा 7 की भाषा न केवल विशेष रूप से बल्कि आवश्यक और जरूरतमंद निर्देशन से भी अन्य व्यक्तियों को बाहर कर देती है जो संपादक से अलग हो सकते हैं जो एक आपराधिक आरोप का उत्तर दे सकते हैं। धारा 7 के तहत उत्पन्न होने वाला पूर्वापूर्विक अनुमान दो चरणी है (1) कि उसको स्पष्ट रूप से संपादक था और

(2) समाचार पत्र के इस इस्यू का हर हिस्सा उसके चयन पर प्रकाशित हुआ था। फिर भी, अनुमान खंडन किया जा सकता है; यानी उलटे तथ्यों का आलेख और प्रमाणित किया जा सकता है कि संपादक जिसका नाम प्रिंट में होता है, वह एक झूला या स्टूज है, लेकिन वास्तविक व्यक्ति जो संपादित मामले का चयन नियंत्रित करता है जो समाचार पत्र में प्रकाशित होता है, वह कोई और हो सकता है। इस तरह, व्यक्ति जो वास्तव में समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाले मामले का चयन नियंत्रित करता है, वह वास्तविक संपादक है

और दिया गया मामला किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हो सकता है जो नाम में संपादक नहीं है और एक ऐसे व्यक्ति का नाम हो सकता है जो नाम संपादक नहीं है और इस तरह का व्यक्ति एक आपराधिक आरोप का उत्तर दे सकता है।

(पैरा 5)

निर्धारित, (बहुमत से एस. एस. देवान और एम. एम. पंच्ही, न्यायाधीशों के अनुसार, डी. एस. तेवाना, न्यायाधीश (विरोधी)) कि साधारण मामलों में, अदालत को दण्डीय प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के तहत गैर-जमानती अपराध के मामले में जमानत प्रदान करने की शक्ति होती है, 1973 और उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय के विशेष शक्तियां धारा 439 के तहत हैं। धारा 17 (5) के माध्यम से आतंकवादी और व्यवधानकारी गतिविधियों (निवारण) अधिनियम, 1985 के तहत धन्यात्मक रूप में नियमित किया गया है। अदालत को जमानत के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, लेकिन यह सकारात्मक बनाना चाहिए पहली वस्तु अगर यह संतोषजनक है कि अपराधी को उस अपराध में दोषी नहीं माना जा सकता है और दूसरी वस्तु यह है कि वह जब तक जमानत पर है, वह किसी भी अपराध का अपराध नहीं करने वाला है। इन दोनों परीक्षणों को पूरा करना आवश्यक है जब तक कि जमानत नहीं दी जाती है। जमानत सबसे अधिक एक प्रक्रियात्मक विशेषाधिकार का मामला है और यह अधिकारित अधिकार नहीं होता है जब तक कि इसे प्रदान नहीं किया जाता है। यह कथन करता है कि एक विधायी उपाय, जिसे पारित किया गया था, परिस्थितियों में पारंपरिक रूप से आवश्यक था जैसा कि उसके उद्देश्य और कारण दर्शाते हैं। इसकी जीवनकाल इसके प्रवर्द्धन की तारीख से दो वर्ष की है। यह एक अस्थायी उपाय है जो देश की अखंडता, एकता और शांति खतरे में थी। संसद ने अपनी समझदारी में ऐसे एक आपातकालीन विधान को आवश्यक माना जब देश संकट में था। जो अराजक कार्रवाई और विघटनकारी गतिविधियों की वजह से इस विधान की आवश्यकता हुई थी। अदालत को जमानत देने की शक्ति को संविधानिक प्रक्रिया संहिता द्वारा प्रदत्त उस शक्ति के स्थानांतरण से इसे प्रोत्साहित किया गया है ताकि विधान की प्रभावीता को कम न किया जाए। इसलिए, अदालत को यह अधिकार है कि वह जमानत के प्रावधानों का ऐसे ही व्याख्यान करे।

(पैराग्राफ 15 और 16)

निर्णय: (अधिकांश ज्यू. एस. देवान और एम. एम. पंचही जेजेजी, डी. एस. तेवतिया, जेकोन्ट्रा), कि जो लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, उन्हें प्रमुखतः सिख मंदिर, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, को लेकर की गई घटना से सीधा संदर्भ है, जिसे सिख समुदाय के भिंडरावाले संस्थापक के अनुयायियों ने अपने कब्जे में किया और उस पर खालिस्तान का झंडा फहराया। जज इन घटनाओं को ध्यान में ले सकते हैं जब इस पर आपत्ति होती है। एक विधायक उपाय की संवैधानिकता को बनाए रखने के लिए, अदालत सामान्य ज्ञान, सामान्य

समाचार, उस समय का इतिहास और उस समय मौजूद सभी तथ्यों को ध्यान में रख सकती है।

वैसे ही कि विधान की संवैधानिकता को नहीं जाया जाना चाहिए, फिर भी अन्य संवैधानिक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित होता है कि अदालतों को यह मानना चाहिए कि संसद अपने लोगों की आवश्यकताओं को समझती है और सही रूप से मूल्यांकन करती है और उसके नियम सामने आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए हैं। उद्देश्य और कारण दर्शाते हैं कि विधान को पारित करने की प्रक्रिया में किस पीड़ा को हटाया जाना चाहिए। प्रश्नयुक्त लेख को इसी रूप में पढ़ा और समझा जाना चाहिए जैसा कि सामान्य समाचारपत्र पाठक समझेंगे और देखेंगे कि क्या यह प्राथमिक रूप से विधान के प्रावधानों के विरुद्ध है।

लेख का वाक्य दिखाता है कि जो भी इसके प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है, वह धारा 3 और 4 के तहत अपराध कर चुका है, लेख में भिंडरावाले की प्रशंसा की गई है और उसने उस समूह के लोगों को प्रशंसा की है जिन्होंने उसे बल से अधिग्रहण किया और खालिस्तान का झंडा फहराया। इस तरह, 'समर्पण' और 'विभाजन' का समर्थन किया गया है। दोबारा, सिखों को सुझाया गया है कि वे स्वर्ण मंदिर के बलवा अधिग्रहित करने वालों को अपने वास्तविक प्रतिनिधि मानें और वे खालिस्तान की प्राप्ति के लिए तैयार हों। फिर समर्पण और विभाजन को प्रसारित किया गया है। इसने हिंसा की पूजा के गुणों का संदर्भ दिया है और एक वर्ग को दूसरे से अलग किया है। यह विभिन्न वर्गों के बीच सद्भाव को प्रभावित करता है। और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, सीधे रूप से हिंसा को प्रसारित किया जाता है - दूसरों के रोने की कीमत पर हँसना। लेख में प्रधानमंत्री के हत्यारे की कृतज्ञता की गई है और उसे उन सिखों का काम बताया गया है जिन्होंने उसे प्रतिशोध दिया। लेख स्पष्ट रूप से विभिन्न संकेतमय विचारों का एक मिश्रित संगठन है, जो ऐसे अभिशापी विचारों को ढांचा देता है जो 'आतंकी कार्रवाई' और 'विघटनकारी गतिविधि' के अंतर्गत जाने जाते हैं। सामान्य अख़बार पढ़ने वाला व्यक्ति इस लेख को उसी तरह से पढ़ेगा और यही जजों से अपेक्षित भी है। तुरंत, कोई बौद्धिक व्यायाम की आवश्यकता नहीं है या संदेह उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है या संदेश को बाल के बाल तक बांटने या समझाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। हमारे दिमाग में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि कोई भी समझदार व्यक्ति इस लेख को गंभीरता से नहीं लेता है। इसे सामान्य बुद्धि के आधार पर देखा जाना चाहिए। इस प्रकार, यह ठहराया गया है कि लेख की भाषा और शैली निर्दोष नहीं है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह स्पष्ट है कि लेख बिना किसी को सीधा प्रोत्साहित करने के लिए नहीं है, लेकिन लेखन का शैली सकारात्मक रूप से सुझाव देता है जो भिंडरावाले और उसके अनुयायियों द्वारा चुनी गई राह पर कार्रवाई की सिफारिश करता है। अब भिंडरावाले कौन थे और वे किसके लिए खड़े थे, वह

सरकारी भारत के व्हाइट पेपर में उपलब्ध है। उनके बयानों से संदर्भित निकले हैं जो कैसेट से रिकॉर्ड किए गए भाषणों से ट्रांसक्राइब किए गए हैं और प्रेस को किये गए बयानों से। व्हाइट पेपर जो कुछ वर्णन करता है, उसे न्यायिक रूप से नोटिस लिया जा सकता है, जिस पर किसी भी दो राय नहीं हो सकती। घटनाओं की श्रृंखला स्वयं वाक्य है। उससे संबंधित किसी भी साक्ष्य को जुटाने की जरूरत नहीं थी जो जांच से संबंधित है न ही अदालत जानबूझकर अज्ञानता को मान सकती है। (पैराग्राफ 6, 11, 12, 13 और 14) निर्णय, (डी .एस .तेवतिया जी के अनुक्रम में (, लेख की सामग्री यह नहीं दिखाती है कि लेखक ने किसी आतंकवादी कार्रवाई या किसी आतंकवादी कार्रवाई की कोई साजिश की हो या उसने कोई आतंकवादी क्रिया या किसी आतंकवादी कार्रवाई की कोई साजिश की हो या उसने आतंकवादी क्रिया या किसी आतंकवादी कार्रवाई की कोई साजिश या संज्ञान में किया हो या उसने किसी आतंकवादी कार्रवाई या किसी आतंकवादी कार्रवाई की कोई साजिश अनुमोदन या अभिरक्ति या सलाह या उकसाना या जानते हुए सहायता की हो। लेखक ने न तो भारत की राजसत्ता और क्षेत्रीय समांतरता पर सवाल उठाया न ही सर्वसाधारण रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से भारत की राजसत्ता या क्षेत्रीय समांतरता को भंग करने का इरादा किया था। वहीं, लेखक ने भारत की अखण्डता की सिफारिश की थी और सावधान किया था कि प्रधानमंत्री को ऊपरी जाति के हिंदुओं की मशीनागरी से सावधान रहना चाहिए, जो देश का विभाजन करने की कवायद में हैं। लेखक ने कहा है कि दलित 'खालिस्तान' के निर्माण के खिलाफ हैं, क्योंकि यदि वह होता है तो दलितों को बड़ा हानि होगा। फिर, लेखक ने किसी क्रिया की सिफारिश नहीं की, चाहे वह किसी क्रिया द्वारा हो या बोली द्वारा या किसी अन्य माध्यम से या किसी अन्य तरीके से, जो भारत के किसी भाग का अलगाव करने का इरादा लाने का हो। लेख कोई भी अपराध नहीं है, ना ही इसे धारा 3(3) या धारा 4(2) के अधीन किसी अपराध के रूप में माना जा सकता है और, इसलिए, जमानत के मामले में धारा 17 की उपविधियों की प्रावधानों के अंतर्गत नहीं पड़ता। (पैराग्राफ 25, 26, 29, 30 और 34) माननीय श्री जस्टिस एम .एम . पुंची द्वारा 25 अप्रैल, 1986 को इस मामले में शामिल होने वाले एक महत्त्वपूर्ण कानूनी सवाल के निर्णय के लिए एक बड़ी बेंच को संदर्भित किया गया। माननीय श्री जस्टिस डी . एस .तेवतिया, माननीय श्री जस्टिस एस .एस .देवान और माननीय श्री जस्टिस एम .एम . पुंची से मिलकर मामले का बहुमत निर्णय किया गया। आपत्ति बाजारी द्वारा धारा 439 के तहत जमानत की अनुरोधना करते हुए कि प्रार्थी की यह आवेदन स्वीकार किया जाए और प्रार्थी को उसके खिलाफ मामले के दौरान जमानत दी जाए।

अजमेर सिंह, वरिष्ठ वकील, एच .एस .जाजवा, एस .एस .तेज और अजय पाल सिंह वकील, उनके साथ।

अनंद स्वरूप, वरिष्ठ अधिवक्ता, मनोज स्वरूप और अजय तिवारी, उनके साथ वकील।

निर्णय

एम.एम पुंछी, जे.:- जमानत के लिए यह याचिका तेजी से पूर्ण पीठ द्वारा सुनवाई की सीढ़ी चढ़ गई। शुरुआत करने के लिए, जब यह मामला अकेले बैठे मेरे सामने आया, तो मैंने इसे एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया, यह मानते हुए कि आतंकवादी में जमानत के विशेष प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जमानत देने के लिए न्यायालय की शक्तियों की आवश्यकता है। और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1985 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित)। जब मामला, माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशों के तहत, मेरे विद्वान भाई डी.एस. तेवतिया, जे. और मैं की खंडपीठ के समक्ष रखा गया, तो हमने धारा 3 के प्रावधानों की व्याख्या के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया। और उक्त अधिनियम की धारा 4 शामिल थी और इस प्रकार हमने मामले को पूर्ण पीठ के पास भेज दिया। इसी तरह से ये मामला हमारे सामने रखा गया है. लेकिन जैसा कि देखा जा सकता है, इसने अपने मापदंडों को आगे बढ़ा दिया है।

5. याचिकाकर्तासुखदेव सिंह ने बताया कि वह 20 साल से अधिक के पेशेवर करियर के साथ एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। श्रेय। उनका दावा है कि वह 'द इंडियन प्रेस एजेंसी', 'ब्लिट्ज़' 'इकोनॉमिक टाइम्स' और 'द डेली ट्रिब्यून' जैसे प्रमुख समाचार पत्रों/समाचार एजेंसियों से जुड़े रहे हैं। याचिकाकर्ता को 'डिग्निटी' नाम से एक पाक्षिक अंग्रेजी अखबार का मालिक और सलाहकार संपादक बताया जाता है। याचिकाकर्ता को उक्त अखबार का 'सर्वस्व' (कर्ता-धर्ता) भी कहा जाता है, हालांकि समाचार पत्र केंद्रीय नियम, 1956 के प्रयोजनों के लिए लुधियाना में प्रैक्टिस करने वाले एक वकील डी.एस. गिल, प्रिंटर, प्रकाशक और हैं। अखबार के संपादक. श्री डी.एस. गिल, मुद्रक, प्रकाशक और संपादक, अखबार के मालिक और याचिकाकर्ता का पता एक ही है यानी 707, सेक्टर 7-बी, चंडीगढ़< ए मैं=5>. इसके 2-15 मार्च, 1986 के संस्करण में एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था, 'पंजाब परिदृश्य का एक दलित दृश्य' जो कथित तौर पर वी.टी. राज शेखर द्वारा लिखा गया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि यह लेख सबसे पहले श्री वी. टी. राज शेखर द्वारा एक संपादक के रूप में 16-28 फरवरी, 1986 को बैंगलोर में अपने पाक्षिक पत्र 'दलित वॉयस' में प्रकाशित किया गया था और डिग्निटी''; इस लेख को 2-15 मार्च, 1986 के अंक में पुनः प्रकाशित किया गया। आगे दावा किया गया है कि श्री वी.टी. राज शेखर एक पत्रकार हैं जो दलितों यानी पिछड़ी और अनुसूचित जातियों आदि के हितों के लिए खड़े हैं।

6. चंडीगढ़ पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए/153-ए और 12-3 अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया। -1986. एफ.आई.आर. मुख्यतः प्रश्नगत लेख पर आधारित है। याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने पीठासीन अधिकारी, नामित न्यायालय, चंडीगढ़ से जमानत मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। प्रयास अब दोहराया गया है.

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील एस. अजमेरसिंह का कहना है कि निर्दोष माने जाने पर याचिकाकर्ता को जमानत प्राप्त करने का अधिकार है। उनका कहना है कि प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 7 के मद्देनजर,अकेले अखबार के संपादक यानी श्री डी.एस. गिल जिम्मेदार थे और कि याचिकाकर्ता को आरोपी के रूप में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उक्त अधिनियम की धारा 1(d) के बल पर, यह दावा किया गया है कि 'संपादक' का अर्थ वह व्यक्ति है जो मामले के चयन को नियंत्रित करता है वह एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है और चूंकि धारा 7 के तहत समाचार पत्र की एक प्रति पर मुद्रित संपादक का नाम उस व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त सबूत माना जाएगा जिसका नाम मुद्रित किया गया है, अकेले उसके खिलाफ किसी भी कानूनी मामले में कार्रवाई की जा सकती है। कार्यवाही; दीवानी के साथ-साथ फौजदारी भी, और यह कि आवश्यक निहितार्थ से संपादक के खिलाफ उत्पन्न होने वाली धारणा अखबार से जुड़े अन्य सभी लोगों को बाहर कर देती है। मुझे दृश्य की सदस्यता लेने में अपनी असमर्थता पर खेद है। धारा 7 इस प्रकार है:—

"7. घोषणा की कार्यालय प्रति को प्रथम दृष्टया साक्ष्य माना जाना चाहिए: - किसी भी कानूनी कार्यवाही में, चाहे वह दीवानी हो या आपराधिक, उपरोक्त घोषणा की एक प्रति प्रस्तुत करना, जो इस अधिनियम द्वारा अभिरक्षा के लिए सशक्त किसी न्यायालय की मुहर द्वारा प्रमाणित हो। इस तरह की घोषणा, या संपादक के मामले में, अखबार की एक प्रति जिसमें संपादक के रूप में उसका नाम छपा हो, उस व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त सबूत माना जाएगा (जब तक कि इसके विपरीत साबित न किया जाए)। ऐसी घोषणा की सदस्यता ली जानी चाहिए, या ऐसे समाचार पत्र पर मुद्रित किया जाना चाहिए, जैसा भी मामला हो कि उक्त व्यक्ति प्रत्येक समाचार पत्र के प्रत्येक भाग का मुद्रक या प्रकाशक, या मुद्रक और प्रकाशक (उक्त घोषणा के शब्दों के अनुसार) था शीर्षक घोषणा में उल्लिखित समाचार पत्र के शीर्षक या समाचार पत्र के उस अंक के प्रत्येक भाग के संपादक के अनुरूप होगा जिसकी एक प्रति तैयार की गई है।

8. अनुभाग की भाषा न तो विशेष रूप से और न ही आवश्यक निहितार्थ से संपादक के अलावा अन्य व्यक्तियों को बाहर करती है, जिन पर आपराधिक आरोप का उत्तर देने की जिम्मेदारी आ सकती है। धारा 7 के तहत उत्पन्न होने वाली धारणा दो प्रकार की है - (1) कि वह स्पष्ट रूप से संपादक थे और (2) अखबार के अंक का प्रत्येक भाग उनके चयन पर प्रकाशित किया गया था। फिर भी अनुमान खंडनयोग्य है; कहने का तात्पर्य यह है कि इसके विपरीत तथ्यों पर आरोप लगाया जा सकता है और उन्हें साबित किया जा सकता है। यहां तक कि अतिरिक्त तथ्यों को भी अनुमान से ऊपर साबित किया जा सकता है। किसी दिए गए मामले में, यह साबित करने के लिए साक्ष्य का सहारा लिया जा

सकता है कि जिस संपादक का नाम छपा है वह एक डमी या कठपुतली है, लेकिन अखबार में प्रकाशित होने वाले मामले के चयन को नियंत्रित करने वाला वास्तविक व्यक्ति कोई और है। इस प्रकार, जो व्यक्ति वास्तव में अखबार में प्रकाशित होने वाले मामले के चयन को नियंत्रित करता है वह वास्तविक संपादक होता है और किसी दिए गए मामले में कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो नाम मात्र का संपादक नहीं है। हाजी सी.एच. मोहम्मद कोया v मामले में विद्वान वकील द्वारा लिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया। टी.के.एस.एम.ए मुथुकोया . 1979 2 एससीसी 8, और महाराष्ट्र राज्य v। डॉ. आर.बी चौधरी । AIR 1968 SC 110., उसके मामले में मदद न करें, क्योंकि उन मामलों में कहीं भी यह नहीं माना गया है कि सबूत यह दिखाने के लिए नहीं पेश किए जा सकते कि संपादक के अलावा अन्य व्यक्ति भी प्रश्नगत मामले के प्रकाशन के लिए जिम्मेदार थे।

9. जांच में आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता 'डिग्निटी' अखबार का संपूर्ण मालिक था और उसने धारा 161, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत किसी गिरीश कपूर का बयान दर्ज किया था। श्री कपूर ने कहा है कि वह याचिकाकर्ता के कहने पर अपने प्रेस समाचार पत्र 'डिग्निटी' में प्रकाशन कर रहे हैं, जो हमेशा उनके पास मुद्रण सामग्री लाते थे और इसे मुद्रित करने के बाद सबूत पढ़ते थे और फिर इकट्ठा करते थे। प्रतियां आवश्यक हैं. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि डीएस गिल चार या पांच बार याचिकाकर्ता के साथ उनकी प्रेस में गए थे लेकिन मुद्रण शुल्क का भुगतान याचिकाकर्ता द्वारा चेक के माध्यम से किया जाता था। आगे उनका कहना है कि कभी-कभी पेपर को याचिकाकर्ता के निवास 707, सेक्टर 7-बी, चंडीगढ़ पर भेजना पड़ता था। अंत में, उन्होंने कहा कि अखबार का 2 मार्च, 1986 का अंक याचिकाकर्ता के कहने पर प्रकाशित हुआ था, जो इस उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत रूप से आए थे, सबूतों की जांच की थी और अनुमोदन के बाद सभी प्रतियां तैयार की थीं, जिन्हें वह अपने साथ ले गए थे। इस सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता का प्रश्नगत लेख से कोई लेना-देना नहीं है।

10. इस निर्णय में प्रश्नगत लेख का पुनरुत्पादन एक पूर्ण बोझ होगा। कुछ अंशों से इसके भाव का अंदाजा लगाया जा सकता है:-

“बाबा साहेब अंबेडकर ने एक बार कहा था कि 'जिससे हिंदू प्यार करते हैं, उससे हमें नफरत करनी चाहिए और जिससे हिंदू नफरत करते हैं, उससे हमें प्यार करना चाहिए।' जब भी हम भ्रम में हों तो दलितों के मार्गदर्शन के लिए यह सरल अम्बेडकर फार्मूला लागू किया जा सकता है।

अभी पंजाब में हिंदू, यानी ऊंची जातियां, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर 'चरमपंथियों' के कब्ज़ा करने से बहुत चिंतित हैं... ... ... यानी ये हिंदू, जो बरनाला, तोहरा, बादल और अन्य लोग अचानक उनसे प्यार करने लगे हैं और चाहते हैं कि स्वर्ण मंदिर पर कब्ज़ा करने वाले भिंडरावाला समर्थक 'चरमपंथियों' को ख़त्म कर दिया जाए। तो हम जानते हैं कि हिंदू किससे प्यार करते हैं और किससे नफरत करते हैं। चूँकि वे अपने प्यार और नफरत को कोई रहस्य नहीं बनाते हैं, इसलिए भारत के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए ऐसे महत्वपूर्ण क्षणों में सही निर्णय पर आना उतना ही आसान है।

... ... हम यह कहने में सही साबित हुए हैं कि ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन सिखों का प्रतिनिधि संगठन बन गया है और अकाली दल (एल) और एस.जी.पी.सी ने लोगों का विश्वास खो दिया है। बरनाला के अधीन पुलिस थी और टोहरा के पास विशाल एस.जी.पी.सी फंड और सशस्त्र गार्ड थे, लेकिन कोई भी उग्रवादी, प्रतिबद्ध भिंडरावाले लड़कों को स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने से नहीं रोक सका।

क्यों? क्योंकि सिख जनता भिंडरावाले है जो आज पंजाब पर सर्वोच्च शासन करता है। दूसरे शब्दों में, 'निर्वाचित' अकाली सरकार, एसजीपीसी, उच्च पुजारी और निम्न पुजारी लोगों का समर्थन खो चुके हैं क्योंकि वे हिंदुओं की कठपुतली बन गए हैं।

वह भिंडरावाले ही थे जिन्होंने इस हड़ताली सिख तालाब को उकसाया था और बेअंत सिंह, एक दलित सिख थे जिन्होंने सिखों के अपमान का बदला लिया था। यह बिमल खालसा, एक रामदासिया सिख और बेअंत सिंह की विधवा थीं, जिन्होंने नहर निर्माण नाकाबंदी का नेतृत्व किया था। उनका कहना है कि क्या यही तीन लोग हैं जिन्होंने सिखों का खोया हुआ स्वाभिमान वापस दिलाया। लोंगोवाल नहीं, बरनाला नहीं, तोहरा नहीं, कोई महायाजक नहीं। एक भिंडरावाले भले ही मर गया हो लेकिन उसके खून से सैकड़ों भिंडरावाले पैदा हो जाते हैं।

100 साल तक बिना आत्मसम्मान के गधे का जीवन जीने से बेहतर है कि भिंडरावाले की तरह लड़कर जवान मर जाऊं। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि दलितों और अन्य उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं को मरना सीखना चाहिए।

आज पंजाब में हालात जून 1984 से भी बदतर हैं, छोटे लोगों का दिमाग छोटा होता है। बरनाला, टोहरा, बादल छोटे लोग साबित हुए। और जो सिख बड़ा सोचते हैं और बड़े काम करते हैं, उन्होंने ठीक ही छोटे लोगों को बाहर निकाल दिया है।

उच्च वर्ग के हिंदू भारत की 'एकता और अखंडता' पर व्याख्यान देते नहीं थकते हैं... ... यहां तक कि, वे सिखों को सोने की थाली में 'खालिस्तान' दे रहे हैं... ... अब तक सिखों ने इस तरह के सभी का विरोध किया है प्रलोभन, लेकिन सिखों की आज की मनोदशा को देखते हुए, वे इसे स्वीकार करेंगे – चाहे कुछ भी हो,

लेकिन स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने वाले नए आतंकवादी सिख जनता और विशेष रूप से दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पंजाब के सच्चे प्रतिनिधि हैं।

11. जो लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं वे जानते हैं कि विचाराधीन लेख में उस समय की घटना का सीधा संदर्भ है, यानी अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, जो सिखों का सबसे पवित्र मंदिर है, भिंडरावाले पंथ के अनुयायियों के एक समूह के कब्जे में आ गया था। ऊपर खालिस्तान का झंडा फहराना. लेकिन क्या न्यायाधीश के रूप में हम इन घटनाओं पर तब ध्यान दे सकते हैं जब इन पर आपत्ति जताई जाती है? मैं जानता हूं कि किसी विधायी उपाय की संवैधानिकता की धारणा को बनाए रखने के लिए, न्यायालय सामान्य ज्ञान के मामलों, सामान्य रिपोर्ट के मामलों, समय के इतिहास पर विचार कर सकता है और तथ्यों की हर स्थिति को भी ध्यान में रख सकता है जिसकी कल्पना मौजूदा समय में की जा सकती है। विधान का समय. इस नियम को आर.के डालमिया v में अच्छी तरह से प्रतिपादित किया गया है। जस्टिस एस.आर.तेंडोलकर । AIR 1958 SC 538. औरमो. हनीफ़ क़ुरैशी v. बिहार राज्य . AIR 1958 SC 731. हालाँकि वास्तव में इस याचिका में हमें अधिनियम की संवैधानिकता में जाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उपरोक्त मामलों में प्रतिपादित अन्य हितकारी सिद्धांत इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि न्यायालयों को यह मानना चाहिए कि विधायिका अपने लोगों की जरूरतों को समझती है और सही ढंग से उनकी सराहना करती है और इसके कानून अनुभव द्वारा प्रकट की गई समस्याओं के लिए निर्देशित हैं। हमारे सामने पढ़े गए उद्देश्य और कारण उस पृष्ठभूमि को प्रकट करते हैं जिसके कारण अधिनियम पारित हुआ, और इसके प्रावधानों को आवश्यक रूप से उस शरारत को दूर करने के लिए देखा जाना चाहिए जिसे यह दूर करना चाहता था। इस प्रकार विचाराधीन लेख को उसी तरह पढ़ा और समझा जाना चाहिए जैसे आम अखबार के पाठक समझते हैं और देखा जाना चाहिए कि क्या यह प्रथम दृष्टया अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है।

12. मैं सिख लड़के के पगड़ी मामले के संबंध में लॉर्ड डेनिंग की पुस्तक 'द क्लोजिंग चैप्टर' में उनकी विस्तृत टिप्पणियों को उद्धृत करने के लिए उत्सुक हूं, जब अपील की अदालत में उनके फैसले को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उलट दिया था। वह पृष्ठ 82-85 पर कहते हैं:-

"मैं यह सुझाव देने के लिए प्रलोभित हूं कि यदि वे समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, तो वे किसी आइवरी टावर में बैठे होंगे। मेरी राय में, न्यायाधीश के बैठने के लिए वह सही जगह नहीं है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में टुलीबेल्टन के लॉर्ड फ्रेजर के फैसले में एक वाक्य है जो दर्शाता है कि उनके लॉर्डशिप समाचार पत्र पढ़ते हैं। 'जातीय समूह' शब्दों के अर्थ का विश्लेषण करते समय, उन्होंने शब्दकोश परिभाषाओं का उल्लेख किया और उन सभी को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा (1982) 2 WLR 620, 625:

'... क़ानून में 'जातीय' के सही अर्थ की तलाश में, हम किसी भी शब्दकोश में सटीक परिभाषा से बंधे नहीं हैं। मेरे विचार में, 1972 की परिभाषा का महत्व यह है कि यह दर्शाता है कि जातीयता आमतौर पर नस्लीय या जैविक की तुलना में काफी व्यापक अर्थ में उपयोग की जाने लगी है।'

और फिर उन्होंने यह ज्ञानवर्धक टिप्पणी की:

'मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह उन लोगों के सामान्य अनुभव के अनुरूप है जो वर्तमान समय में समाचार पत्र पढ़ते हैं। मेरी राय में, 'जातीय' शब्द में अभी भी एक नस्लीय स्वाद बरकरार है, लेकिन इसका उपयोग आजकल अन्य वर्णों को शामिल करने के लिए एक विस्तारित अर्थ में किया जाता है, जिन्हें आमतौर पर सामान्य नस्लीय मूल से जुड़ा हुआ माना जा सकता है।'

अब, उस पैराग्राफ को पढ़ते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स को उस चीज़ से निर्देशित किया जा रहा था जो उन्होंने सोचा था कि यह 'वर्तमान समय में समाचार पत्र पढ़ने वालों का सामान्य अनुभव है।' मैं खुद से पूछता हूं: लॉर्ड्स खुद कैसे पता लगा सकते हैं 'अख़बार पढ़ने वालों' का क्या विचार है? वे खुद को अखबार के पाठकों के समान ही स्थिति में रख रहे होंगे। कानून की कुछ शाखाओं में हम सामान्य 'उचित व्यक्ति' का अर्थ तलाशते हैं। यहां लॉर्ड्स 'साधारण अखबार पाठक' द्वारा दिए गए अर्थ की तलाश कर रहे हैं। मुझे यह सोचना चाहिए था कि, हमारे फैसले की आलोचनाओं को पढ़ने पर,

अधिकांश अखबार पाठकों ने कहा होगा: अपील की अदालत काफी गलत थी। लॉर्ड्स को अपना निर्णय पलट देना चाहिए।'

ऐसा नहीं है कि मुझे समाचार पत्र पढ़ने वाले न्यायाधीशों की बुद्धिमत्ता पर संदेह है। मेरा मानना है कि उन्हें इन्हें पढ़ना चाहिए, ताकि जनता की राय के संपर्क में रह सकें। कानून को आज की सही जनमत के अनुरूप होना चाहिए, न कि इसके विरुद्ध होना चाहिए। अन्यथा, इसका सम्मान नहीं किया जाएगा।"

13. मुझे लगता है कि लॉर्ड डेनिंग के ज्ञानवर्धक शब्द हमारे लोगों और संसद में बैठे उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों की अपेक्षाओं का सार हैं जिनके माध्यम से वे कानून बनाते हैं। वे आशा करते हैं कि न्यायालय ऐसी व्याख्या देगा जो उस समय की हल्की-फुल्की जनता की राय के अनुरूप हो, न कि इसके विरुद्ध ताकि कानून और न्याय के प्रति सम्मान बना रहे।

14. एस. अजमेर सिंह ने अगली दलील दी कि याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाने का प्रयास अनुच्छेद 19(का उल्लंघन था) 1)(ए) संविधानजो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। उन्होंने तर्क दिया कि आज की स्वतंत्र दुनिया में, प्रेस की स्वतंत्रता सामाजिक और राजनीतिक संबंधों का केंद्र है। रिलायंस को इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बॉम्बे) प्राइवेट लिमिटेड v पर रखा गया था। भारत का संघ . 1985 1 SCC 641. इसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रेस ने अब विशेष रूप से विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा को संभव बनाने वाले सार्वजनिक शिक्षक की भूमिका निभायी है और प्रेस का उद्देश्य तथ्यों को प्रकाशित करके सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाना है। ऐसी राय जिनके बिना एक लोकतांत्रिक मतदाता जिम्मेदार निर्णय नहीं ले सकता। जहां तक बात है, यह रचनात्मक है। लेकिन अगर स्वतंत्रता के नाम पर, प्रेस द्वारा सार्वजनिक हित में काम करने का लाइसेंस मान लिया जाता है, तो गारंटीकृत स्वतंत्रता का दुरुपयोग होता है। मेरे विचार से यह तर्क याचिकाकर्ता के मामले को केवल उसकी कथित स्वतंत्रता पर आगे नहीं बढ़ाता है।

15. अब धारा 2(सी) और (एफ) में क्रमशः 'विघटनकारी गतिविधि' और 'आतंकवादी कृत्य' की परिभाषाओं के साथ-साथ धारा 3 और 4 के प्रावधानों पर भी संदेहपूर्ण नजर डालने का मंच तैयार है, जिन्हें उद्धृत किया गया है। इसके बाद:-

"2 (सी) 'विघटनकारी गतिविधि' का वही अर्थ है जो धारा 4 में दिया गया है, और अभिव्यक्ति 'विघटनकारी' का अर्थ तदनुसार समझा जाएगा;"

2(f) 'आतंकवादी कृत्य' का वही अर्थ है जो धारा 3 की उप-धारा (1) में दिया गया है और अभिव्यक्ति 'आतंकवादी' का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;''

"3(1) जो कोई कानून द्वारा स्थापित सरकार को भयभीत करने या लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक पैदा करने या लोगों के किसी भी वर्ग को अलग-थलग करने या लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के इरादे से ज्वलनशील पदार्थों या आग्नेयास्त्रों या अन्य घातक हथियारों या जहरों या हानिकारक गैसों या अन्य रसायनों या खतरनाक प्रकृति के किसी भी अन्य पदार्थ (चाहे जैविक या अन्यथा) पर बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों का उपयोग करके कोई कार्य या चीज करता है। किसी व्यक्ति या व्यक्ति की मृत्यु या उसे चोट पहुँचाने, संपत्ति को क्षति पहुँचाने या नष्ट करने या समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक किसी आपूर्ति या सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न करने या उसके कारण होने की संभावना के कारण आतंकवादी अपराध करता है। कार्यवाही करना।

(2) जो कोई आतंकवादी कृत्य करेगा-

(i) यदि ऐसे कृत्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्युदंड से दंडनीय होगा;

(ii) किसी अन्य मामले में, कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

(3) जो कोई किसी आतंकवादी कृत्य या आतंकवादी कृत्य की तैयारी करने वाले किसी कृत्य की साजिश रचता है या करने का प्रयास करता है, या उसकी वकालत करता है, उकसाता है, सलाह देता है या उकसाता है या जानबूझकर उसे करने में सहायता करता है, तो उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो इससे कम नहीं होगी। तीन साल से अधिक लेकिन जो जीवन अवधि तक बढ़ सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

"4(1) जो कोई भी किसी विघटनकारी गतिविधि को अंजाम देता है या साजिश करता है या करने का प्रयास करता है या उकसाता है, वकालत करता है, भड़काने की सलाह देता है या जानबूझकर किसी विघटनकारी गतिविधि को अंजाम देने में मदद करता है या किसी विघटनकारी गतिविधि की तैयारी के लिए कोई कार्य करता है, तो उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो कम नहीं होगा तीन वर्ष से अधिक लेकिन जो जीवन अवधि तक बढ़ सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए 'विघटनकारी गतिविधि' का अर्थ है की गई कोई भी कार्रवाई, चाहे कार्य द्वारा या भाषण द्वारा या किसी अन्य मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से, -

(i) जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठाता है, बाधित करता है या बाधित करने का इरादा रखता है; या

(ii) जिसका उद्देश्य भारत के किसी भी हिस्से के अधिग्रहण या भारत के किसी भी हिस्से को संघ.

स्पष्टीकरण,- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,-

(ए) 'अधिग्रहण' में किसी भी विदेशी देश के किसी भी दावे को भारत के किसी भी हिस्से में स्वीकार करना शामिल है, और

(b) 'अलगाव' में यह निर्धारित करने के लिए किसी भी दावे का दावा शामिल है कि भारत का एक हिस्सा संघ के भीतर रहेगा या नहीं।

(3) उपधारा (2) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह घोषित किया जाता है कि कोई भी कार्रवाई , चाहे कार्य द्वारा या भाषण द्वारा या किसी अन्य मीडिया के माध्यम से या किसी भी अन्य तरीके से,—

(ए) वकालत करता है, सलाह देता है, सुझाव देता है या उकसाता है; या

(बी) भारत या किसी भी जनता की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए संविधान के तहत शपथ से बंधे किसी भी व्यक्ति की हत्या या विनाश को उकसाने, सलाह देने, सुझाव देने या प्रेरित करने के लिए इस तरह से भविष्यवाणी, भविष्यवाणी या उच्चारण या अन्यथा व्यक्त करता है। नौकरों को इस धारा के अर्थ के अंतर्गत एक विघटनकारी गतिविधि माना जाएगा।

16. इस प्रकार इन प्रावधानों को उनके इरादे की सहज समझ के अलावा किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल यह देखने की आवश्यकता है कि क्या विचाराधीन लेख किसी आतंकवादी कृत्य या उसकी तैयारी करने वाले किसी कार्य को करने की वकालत करता है, सलाह देता है या उकसाता है, या किसी विघटनकारी गतिविधि को अंजाम देने या उसकी तैयारी करने वाले किसी कार्य की वकालत करता है, सलाह देता है या उकसाता है। लेख और विशेष रूप से ऊपर निकाले गए अंशों को पढ़ने से पता चलता है कि जो कोई भी इसके प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है, उसने अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराध किया है।

17. याचिकाकर्ता के हवाले से लिखे गए लेख का उद्देश्य भिंडरावाले की प्रशंसा करना और उन लोगों के समूह की भूमिका की प्रशंसा करना है, जिन्होंने अपने पंथ का अनुसरण करते हुए, स्वर्ण मंदिर पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया और खालिस्तान का झंडा फहराया। इस प्रकार, 'पृथक्करण' और 'पृथक्करण' का स्वागत किया जाता है। इसके अलावा, लेख में सिखों को स्वर्ण मंदिर पर जबरन कब्जा करने वालों को अपना सच्चा प्रतिनिधि मानने और खालिस्तान की प्राप्ति के लिए खुद को तैयार करने का सुझाव दिया गया है। फिर से अलगाव और अलगाव का प्रचार किया जाता है। यह हिंसा के पंथ के गुणों का परोक्ष संदर्भ देता है और लोगों के एक वर्ग को दूसरे से अलग करता है। यह लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, हिंसा को अप्रत्यक्ष रूप से प्रचारित किया जाता है – दूसरों के रोने की कीमत पर हँसी प्राप्त करना। लेख में भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के कारनामे की भी सराहना की गई है और उसे बदला लेने वाला कृत्य बताया गया है सिखों का अपमान. यह लेख स्पष्ट रूप से अधिनियम में ज्ञात 'आतंकवादी कृत्य' और 'विघटनकारी गतिविधि' अभिव्यक्तियों के तहत कवर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के विचारोत्तेजक भयावह विचारों का एक मिश्रित समूह है। एक साधारण अखबार पढ़ने वाला व्यक्ति लेख को केवल इसी तरीके से पढ़ेगा और न्यायाधीशों के रूप में हमसे यही अपेक्षा

की जाती है। तुरंत, संदर्भ या उसकी सामग्री को बाल-विभाजित करने, या बिखरने और समझाने के लिए किसी बौद्धिक अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। हंसते हुए यह कहने के लिए हमारे मन में किसी संदेह की आवश्यकता नहीं है कि कोई भी समझदार व्यक्ति लेख को गंभीरता से नहीं ले सकता था। इसे सामान्य ज्ञान के आधार पर देखना होगा. इस प्रकार, मैं यह मानने के लिए बाध्य हूं कि लेख की भाषा और भाव निर्दोष नहीं है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इस प्रकार, जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, मेरा पुष्ट मत है कि यह लेख निस्संदेह अधिनियम की धारा 3(3) के तहत दंडनीय आतंकवादी कृत्यों या आतंकवादी कृत्यों की तैयारी करने वाले कृत्यों और विघटनकारी गतिविधियों या कृत्यों की वकालत, सलाह या उकसाता है। अधिनियम की धारा 4(2) के दायरे में आने वाली विघटनकारी गतिविधियाँ, यदि अधिक नहीं तो। यह सच है कि लेख सीधे तौर पर अपने पाठकों को कुछ भी करने के लिए प्रेरित नहीं करता है, लेकिन लेखन की शैली सकारात्मक रूप से भिंडरावाले और उसके अनुयायियों द्वारा चुने गए रास्ते पर कार्रवाई की सिफारिश करती है।

18. अब भिंडरावाले कौन था और वह किसके लिए खड़ा था, यह पंजाब आंदोलन पर भारत सरकार के श्वेत पत्र में उपलब्ध है। उनके बयानों के अंश टेप-रिकॉर्ड किए गए भाषणों से अनुवादित हैं, जो कैसेट से लिखे गए हैं और प्रेस को दिए गए बयान हैं। उनमें से कुछ हैं: -

“यह 35 आता है और 100 भी नहीं। 66 करोड़ का विभाजन करें, तो प्रत्येक सिख को केवल 35 हिंदू मिलते हैं, 36वाँ भी नहीं। आप कैसे कहते हैं कि आप कमज़ोर हैं?”

“मैंने पहले निर्देश दिया था कि प्रत्येक गाँव को एक-एक रिवॉल्वर और एक मोटरसाइकिल के साथ तीन युवाओं की एक टीम बनानी चाहिए। यह कितने गांवों में किया गया है?”

“आपमें से जो चरमपंथी बनना चाहते हैं उन्हें अपने हाथ ऊपर उठाने चाहिए। आपमें से जो लोग मानते हैं कि वे गुरु के सिख हैं, उन्हें हाथ उठाना चाहिए, दूसरों को बकरे की तरह अपना सिर लटका लेना चाहिए।

"सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि सिख या तो भारत में या उसके साथ रह सकते हैं।"

"बिना हथियारों के एक सिख नग्न है, वध के लिए छोड़ दिया गया एक मेमना है। मोटरसाइकिलें, बंदूकें खरीदें और गद्दारों को एक ही सिक्के में भुगतान करें।

19. श्वेत पत्र में जो वर्णन किया गया है उस पर न्यायिक रूप से ध्यान दिया जा सकता है, जिस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। इस प्रकार घटनाओं की शृंखला स्वयं बोल रही थी। जांच के लिए उस संबंध में कोई औपचारिक सबूत इकट्ठा करना आवश्यक नहीं था। न ही न्यायालय जानबूझकर इसे अज्ञानता मान सकता है।

20. सामान्य मामलों में, न्यायालय को धारा 437, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, और उच्च न्यायालय के तहत गैर-जमानती अपराध के मामले में जमानत देने की शक्ति है। और सत्र न्यायालय के पास धारा 439, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत विशेष शक्तियां हैं। संहिता के तहत शक्ति आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1985 की धारा 17(5) को निम्नानुसार प्रदान करके नकारात्मक रूप से विनियमित किया गया है:—

"संहिता में किसी भी बात के बावजूद, इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम के तहत दंडनीय अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को, यदि हिरासत में है, तो जमानत पर या अपने स्वयं के बांड पर रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक कि-

(ए) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है, और

(बी) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, अदालत संतुष्ट है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

21. उपरोक्त प्रावधान की भाषा से यह स्पष्ट है कि न्यायालय को जमानत के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए लेकिन सबसे पहले इसे सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए यदि वह संतुष्ट है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और दूसरा यह कि वह दोषी नहीं है। जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। जमानत दिए जाने से पहले इन दोनों परीक्षणों को पूरा किया जाना चाहिए। जमानत अधिक से अधिक प्रक्रियात्मक विशेषाधिकार का मामला है और जब

तक इसे मंजूर नहीं किया जाता, तब तक इसे अर्जित नहीं किया जा सकता। एक विधायी उपाय के रूप में यह अधिनियम उन परिस्थितियों में पारित किया गया था जो बाध्यकारी थीं क्योंकि वस्तुएँ और कारण हमारे सामने स्पष्ट रूप से सामने आए थे। इसका जीवन धारा 1(3) के अनुसार इसके प्रवर्तन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए है। यह एक अस्थायी उपाय है जब देश की अखंडता, एकता और शांति खतरे में थी। जब राष्ट्र संकट में था तो संसद ने अपने विवेक से ऐसे आकस्मिक कानून को आवश्यक माना। इसके प्रावधानों की व्याख्या करते हुए और इसके इरादे को पूरा करते समय, (1942) A.C 206 में लॉर्ड मैकमिलन के शब्द एक संकेतक हैं:—

"लेकिन आपातकाल के समय में, जब पूरे देश का जीवन खतरे में है, यह अच्छी तरह से हो सकता है कि क्षेत्र की रक्षा के लिए एक विनियमन का काफी उचित अर्थ हो सकता है जो कि विषय की स्वतंत्रता के कठोर आक्रमण के कारण है शांति-समय के उपाय का श्रेय देने में अदालतें धीमी होंगी। विनियमन का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, और आपातकालीन कानून की व्याख्या क्षेत्र की रक्षा के लिए इसकी प्रभावशीलता को कम करने के बजाय बढ़ावा देने के लिए करना सही है। यह शांतिकाल के साथ-साथ युद्धकाल में भी सभी क़ानूनों या वैधानिक विनियमों की व्याख्या पर लागू होने वाले एक सामान्य नियम के अनुसार है।

22. जिन विकारों के कारण इस कानून को अस्तित्व में लाना पड़ा, वे कुछ लोगों की आतंकवादी गतिविधियां और विघटनकारी गतिविधियां थीं और यह अधिनियम उनसे निपटने का एक उपाय है। ज़मानत देने की न्यायालय की शक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा प्रदत्त शक्ति के स्थान पर सलाहपूर्वक विनियमित किया गया है ताकि कानून की प्रभावकारिता को बढ़ावा दिया जा सके और उसे नष्ट न किया जा सके। इसलिए, अदालत के लिए जमानत प्रावधानों की इस तरह से व्याख्या करना सही है। इस तरह की व्याख्या पर, इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि याचिकाकर्ता इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं थी।

23. इस प्रकार, ऊपर व्यक्त विचारों के लिए, मैं याचिकाकर्ता को जमानत देने से इनकार करता हूं।

डी.एस. तेवतिया, जे.:- सम्मान के साथ, मैं भाई पुंछी, जे. की राय से असहमत हूं और मैंने अपनी एक अलग राय दर्ज की है।

एस.एस. दीवान, जे.:- मैं अपने विद्वान भाई एम.एम पुंछी, जे. के विचार से सहमत हूं।

निर्णय

डी.एस. तेवतिया, जे.:- मैंने अपने विद्वान भाई पुंछी, जे. द्वारा तैयार की गई राय का अध्ययन किया है। सम्मान के साथ, मैं उनके द्वारा पेश किए गए विचार के लिए खुद को राजी करने में सक्षम नहीं हूं और इसलिए, एक अलग आदेश देने की आवश्यकता है मेरी अपनी राय.

24. इस राय पर मामले के तथ्यों का बोझ डालना अनावश्यक है, क्योंकि इन्हें मेरे भाई पुंछी, जे. ने विस्तार से दोहराया है। यह उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि याचिकाकर्ता सुखदेव < a i=2>सिंह ने खुद को राजनीतिक साप्ताहिक 'डिग्निटी' का मालिक और सलाहकार संपादक होने का दावा किया है, जिसके प्रत्यक्ष मुद्रक, प्रकाशक और संपादक लुधियाना के एडवोकेट श्री डी.एस. गिल हैं। 2-15 मार्च, 1986 के अपने अंक में, 'डिग्निटी' ने वी.टी. राज शेखर द्वारा लिखित एक लेख 'ए दलित व्यू ऑफ पंजाब सिनेरियो' को दोबारा प्रकाशित किया, जिसे उन्होंने पहले अपने पाक्षिक पत्र 'दलित वॉयस' में संपादक के रूप में प्रकाशित किया था। फरवरी 16-22, 1986, बैंगलोर में। चंडीगढ़ पुलिस ने याचिकाकर्ता वी.टी. राज शेखर और डी.एस गिल के खिलाफ धारा 124-ए और 153-ए के तहत एफआईआर नंबर 122, दिनांक 12.3.1986 दर्ज की। , आई.पी.सी. और आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1985 की धारा 4 के तहत, इसके बाद इसे 'अधिनियम' के रूप में जाना जाएगा। याचिकाकर्ता को चंडीगढ़ पुलिस ने 12.3.1986 को गिरफ्तार कर लिया था।

25. याचिकाकर्ता ने पीठासीन अधिकारी, नामित न्यायालय, चंडीगढ़ से जमानत मांगी, जिन्होंने अपने आदेश दिनांक 15.3.1986 द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया।

26. जैसा कि उनके सामने था, वैसे ही हमारे सामने भी, अभियोजन पक्ष ने अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत कथित अपराध के याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कमीशन के कारण याचिकाकर्ता को जमानत देने का विरोध किया और इसलिए, यह न्यायालय भी है। इस बात पर विचार करें कि क्या याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 3 और 4 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, उसकी धारा 17 के साथ पढ़ा है, जमानत देने का मामला बनाया है, जो

उन परिस्थितियों को प्रदान करता है जिनमें यह न्यायालय किसी को जमानत दे सकता है अभियुक्त पर अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया।

27. बार में दिए गए प्रतिद्वंद्वी विवाद पर विचार करने से पहले, अधिनियम की धारा 2 (सी) और (एफ) में परिभाषित 'विघटनकारी गतिविधि' और 'आतंकवादी कृत्य' की अभिव्यक्तियों पर ध्यान देना उचित होगा। इसकी धारा 3 और 4 के प्रावधान, जो निम्नलिखित शब्दों में हैं:

"2(सी) 'विघटनकारी गतिविधि' का वही अर्थ है जो धारा 4 में दिया गया है, और अभिव्यक्ति 'विघटनकारी' का अर्थ तदनुसार समझा जाएगा:

(f) 'आतंकवादी कृत्य' का वही अर्थ है जो धारा 4 की उप-धारा (1) में दिया गया है और अभिव्यक्ति ''आतंकवादी' को तदनुसार समझा जाएगा;

3(1) जो भी कानून द्वारा स्थापित सरकार को भयभीत करने या लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक पैदा करने या लोगों के किसी भी वर्ग को अलग-थलग करने या लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के इरादे से कोई कार्य करता है बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार या जहर या हानिकारक गैसें या अन्य रसायन या खतरनाक प्रकृति के किसी भी अन्य पदार्थ (चाहे जैविक या अन्यथा) का इस तरह से उपयोग करके कार्य या वस्तु , या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु या चोट लगने या संपत्ति या व्यवधान या समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक किसी भी आपूर्ति या सेवाओं की क्षति या विनाश होने की संभावना है, एक आतंकवादी कार्य करता है।

(2) जो कोई आतंकवादी कृत्य करेगा-

(i) यदि ऐसे कृत्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्युदंड से दंडनीय होगा;

(ii) किसी अन्य मामले में, कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे जीवन भर तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

(3) जो कोई भी किसी आतंकवादी कृत्य या आतंकवादी कृत्य की तैयारी के लिए किसी कृत्य की साजिश रचता है या करने का प्रयास करता है, या उसकी वकालत करता है, सलाह देता है या उकसाता है या जानबूझकर उसे करने में सहायता करता है, उसे कम से कम अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। तीन साल लेकिन जो जीवन अवधि तक बढ़ सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

4(1) जो कोई भी किसी विघटनकारी गतिविधि को अंजाम देता है या साजिश रचता है या करने का प्रयास करता है या उकसाता है, वकालत करता है, भड़काने की सलाह देता है या जानबूझकर ऐसा करने में मदद करता है या विघटनकारी गतिविधि की तैयारी के लिए कोई कार्य करता है, तो उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो कम नहीं होगी। तीन वर्ष से अधिक लेकिन जिसे जीवन अवधि तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए 'विघटनकारी गतिविधि' का अर्थ है की गई कोई भी कार्रवाई, चाहे कार्य द्वारा या भाषण द्वारा या किसी अन्य मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से, -

(i) जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठाता है, बाधित करता है या बाधित करने का इरादा रखता है; या

(ii) जिसका उद्देश्य भारत के किसी भी हिस्से के अधिग्रहण या भारत के किसी भी हिस्से को संघ.

स्पष्टीकरण.– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,-

(ए) 'अधिग्रहण' में किसी भी विदेशी देश के किसी भी दावे को भारत के किसी भी हिस्से में स्वीकार करना शामिल है, और

(b) 'अलगाव' में यह निर्धारित करने के लिए किसी भी दावे का दावा शामिल है कि भारत का एक हिस्सा संघ के भीतर रहेगा या नहीं।

(3) उपधारा (2) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह घोषित किया जाता है कि कोई भी कार्रवाई , चाहे कार्य द्वारा या भाषण द्वारा या किसी अन्य तरीके से जो कुछ भी हो—

(ए) वकालत करता है, सलाह देता है, सुझाव देता है या उकसाता है; या

(बी) भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए संविधान के तहत शपथ से बंधे किसी भी व्यक्ति या किसी लोक सेवक की हत्या या विनाश को उकसाने, सलाह देने, सुझाव देने या प्रेरित करने के लिए इस तरह से भविष्यवाणी करता है या घोषणा करता है या अन्यथा व्यक्त करता है। इस धारा के अर्थ के अंतर्गत एक विघटनकारी गतिविधि मानी जाएगी।"

28. विचाराधीन लेख के आपत्तिजनक हिस्से, जिन्हें राज्य के वकील द्वारा उजागर किया गया था, को मेरे भाई पुंछी, जे. ने अपनी राय में पुनः प्रस्तुत किया है। हालाँकि, मैं पूरे लेख को तैयार करना वांछनीय मानूँगा, क्योंकि समग्र रूप से लेख के भाव को समझा जाना चाहिए। आपत्तिजनक लेख निम्नलिखित शब्दों में है:

“पंजाब परिदृश्य का एक दलित दृश्य

वी. टी. राजशेखर द्वारा

बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बार कहा था: "जिससे हिंदू प्यार करते हैं, उससे हमें नफरत करनी चाहिए और जिससे हिंदू नफरत करते हैं, उससे हमें प्यार करना चाहिए।"

जब भी हम भ्रम में हों तो दलितों के मार्गदर्शन के लिए यह सरल अम्बेडकर फार्मूला लागू किया जा सकता है। ऊंची जाति के हिंदू दूसरों को भ्रमित करके ही शासन करते हैं। इस तरह उन्होंने एक बार फिर पंजाब को भ्रम की स्थिति में डाल दिया। इसलिए जब भी ऐसी कोई उलझन हो तो बाबा साहेब हमारी मदद के लिए आएं।

अभी पंजाब में हिंदू, यानी ऊंची जाति, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर 'चरमपंथियों' के कब्ज़ा करने से बहुत चिंतित हैं। वे 'आतंकवादी दबाव' के आगे झुकने और 'देश-विरोधियों को खुश करने' के लिए मुख्यमंत्री बरनाला में दोष ढूंढ रहे हैं। वे इस बात से भी गुस्से में हैं कि 'चरमपंथी' उनके द्वारा रुपये की अनुमानित लागत से पुनर्निर्मित अकाल तख्त को ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 50 करोड़.

हिंदुओं द्वारा वोल्ट फेस

इसका मतलब है कि ये हिंदू, जो बरनाला, तोहरा, बादल और अन्य से नफरत करते थे, अचानक उनसे प्यार करने लगे हैं और चाहते हैं कि स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने वाले भिंडरावाला समर्थक 'चरमपंथी' का खात्मा हो जाए। तो हम जानते हैं कि हिंदू किससे प्यार करते हैं और किससे नफरत करते हैं। चूँकि वे अपने प्यार या नफरत को कोई रहस्य नहीं बनाते हैं, इसलिए भारत के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए ऐसे महत्वपूर्ण क्षणों में सही निर्णय पर आना उतना ही आसान है। इसे विरोधाभासों का नियम कहा जाता है। माओ त्से-तांग के चयनित कार्य, 1952 खंड। मैं, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, बीजिंग)।

हर समाज को नियंत्रित करने वाले इन कानूनों का उचित अध्ययन सभी दलितों और उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के लिए जरूरी है। बाबासाहेब और माओ के विचारों से प्रेरित होकर, हम कुछ निष्कर्षों पर पहुंचते हैं और इस तरह हम यह कहने में सही साबित हुए हैं कि ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन सिखों का प्रतिनिधि संगठन बन गया है, और अकाली दल (एल), और एस.जी.पी.सी ने लोगों का विश्वास खो दिया है। बरनाला के अधीन पुलिस थी और टोहरा के पास विशाल एस.जी.पी.सी फंड और सशस्त्र गार्ड थे, लेकिन कोई भी उग्रवादियों, भिंडरावाला के लड़कों को स्वर्ण मंदिर पर कब्ज़ा करने से नहीं रोक सका।

क्यों? क्योंकि सिख जनता भिंडरावाला के पीछे है, जिसका आज पंजाब पर प्रभुत्व है। दूसरे शब्दों में, 'निर्वाचित' अकाली सरकार, एस.जी.पी.सी., उच्च पुजारियों और निम्न पुजारियों ने

लोगों का समर्थन खो दिया है क्योंकि वे हिंदुओं की कठपुतली बन गए हैं। इसीलिए हिंदू अपने पिट्ठुओं के पतन पर छाती पीट रहे हैं।

सिख धर्म एक सिख को लड़ने और मरने के लिए कहता है, कभी आत्मसमर्पण नहीं करने के लिए। लोंगोवाल, बादल, तोहरा, ज़ैलसिंहने न केवल लड़ाई नहीं की बल्कि आत्मसमर्पण कर दिया और 'दुश्मन' के साथ समझौता कर लिया। इसलिए उन्हें जाना ही होगा. इस पर आंसू नहीं बहाने चाहिए. ये सभी उच्च पुजारी और निम्न पुजारी सिख धर्म, एक सैन्य धर्म, को हिंदू धर्म का हिस्सा बनाने के लिए ब्राह्मणवाद के साथ समझौता करने के लिए जिम्मेदार थे।

सिख-दलित भाई-भाई

परिणामस्वरूप, सिख धर्म ने खुद को उन दलितों से दूर कर लिया जिनकी मुक्ति के लिए सिख धर्म की स्थापना की गई थी। यह भिंडरावाला ही था जिसने इस बदबूदार सिख तालाब को हिलाया था और बेअंतसिंह, एक दलित सिख, जिसने सिखों के अपमान का बदला लिया था। यह बिमल खालसा, एक रामदासिया सिख और बेअंत सिंह की विधवा थीं, जिन्होंने नहर निर्माण नाकाबंदी का नेतृत्व किया था। उनका कहना है कि ये तीन लोग ही हैं जिन्होंने सिखों का खोया हुआ स्वाभिमान वापस दिलाया। लोंगोवाल नहीं, बरनाला नहीं, तोहरा नहीं, कोई महायाजक नहीं। एक भिंडरावाले भले ही मर गया हो, लेकिन उसके खून से सैकड़ों भिंडरावाले पैदा हो जाते हैं।

पंजाब में आज जो कुछ चल रहा है, वह आंतरिक विरोधाभासों के बीच लंबे समय से अपेक्षित टकराव का स्वागत योग्य है। आंतरिक अंतर्विरोधों को हल किए बिना हम बाहरी अंतर्विरोधों को हल नहीं कर सकते। 'किसी वस्तु के विकास का मूल कारण बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है।' किसी भी वस्तु के भीतर का विरोधाभास ही उसके विकास का मूल कारण है। सामाजिक विकास मुख्यतः बाहरी कारणों से नहीं बल्कि आंतरिक कारणों से होता है।'

अत: विरोधाभासों के नियमों के अनुसार, सिखों के अपने घर के अंदर ही अधिक घातक शत्रु होते हैं। और इसलिए, ए.आई.एस.एस.एफ और भिंडरावाले के दमदमी टकसाल ने इन आंतरिक दुश्मनों की सही पहचान की है और उन्हें बाहर कर दिया है। बधाई हो। यहां तक कि दलित सिख, जाट सिखों के करीब आने लगे हैं और वास्तव में, बिमल

खालसा के नेतृत्व में सिख राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं क्योंकि आंतरिक दुश्मनों को बाहर निकालने को प्राथमिकता दी गई है।

आंतरिक शत्रुओं के समाप्त हो जाने पर अब बाहरी शत्रुओं से लड़ना आसान हो जाएगा। सिख समाज के भीतर किया जा रहा यह प्रयोग दलितों और अन्य सभी उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के लिए एक सबक है। अगर आज मुसलमान आबादी का 15 फीसदी हिस्सा होने के बावजूद कमजोर हैं तो इसका कारण उनके भीतर का दुश्मन है।

चूंकि कोई भी समाज विरोधाभासों के इन कानूनों द्वारा शासित होने से बच नहीं सकता है, बरनाला, तोहरा एंड कंपनी इसकी पहली दुर्घटना होगी। ज़ैलसिंह और बूटासिंह, केंद्र के दो दौड़ने वाले कुत्ते, को सही ढंग से उनकी जगह दिखायी गयी है. हमें उनकी दुर्दशा पर सचमुच खेद है। उनसे हिंदुओं के साथ-साथ सिखों द्वारा भी नफरत की जाती है। ज़ैलसिंहने अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाने और सिख गौरव को बहाल करने के दो ऐतिहासिक अवसर गंवा दिए। सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ के रूप में, वह स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने के लिए अपनी सहमति देने से इनकार कर सकते थे, और बाद में जब सेना ने इसमें प्रवेश किया, तो वह राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल सकते थे। लेकिन उसने समझौता कर लिया और कठपुतली बनने का फैसला किया। हमें कीड़ों से कोई सहानुभूति नहीं है।

सिख 'कीड़े'

बूटा सिंह दलित हो सकते हैं। तो फिर स्वाभिमान के बिना जीने का क्या फायदा? भिंडरावाले की तरह जवान मरना बेहतर है; सौ वर्षों तक बिना आत्मसम्मान के गधे का जीवन जीने से अच्छा है कि संघर्ष करो। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि दलितों और अन्य उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं को मरना सीखना चाहिए। हमारी मुक्ति उसी क्षण मानी जाती है जब हम मरना सीख जाते हैं। यह सच है कि हम ऊंची जाति से नफरत करते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है।' क्योंकि हम नहीं जानते कि उन्हें कैसे बाहर निकाला जाए. हम इसे तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक हम मरने की कला नहीं सीख लेते।

बरनाला को सिख दिलों में प्रवेश करने का अवसर मिला। वह 26 जनवरी को इस्तीफा दे सकते थे, जब 'राजीव गांधी-लोंगोवाल समझौते' के तहत चंडीगढ़ को पंजाब में स्थानांतरित किया जाना था। उनकी कुर्सी उनके लिए थी। उसकी अंतरात्मा से भी अधिक महत्वपूर्ण हो

गया। वह हिंदू धमकियों से कांप उठा और उसने अपने बेटे को अमृतसर में भिंडरावाले लड़कों से लड़ने के लिए भेजा। बेटा सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया और पिता राजनीतिक दुर्घटना का शिकार हो गये। आज पंजाब के हालात जून 1984 से भी बदतर हैं। छोटे लोगों का दिमाग छोटा होता है। बरनाला, टोहरा, बादल छोटे लोग साबित हुए। और जो सिख बड़ा सोचते हैं और बड़े काम करते हैं, उन्होंने ठीक ही छोटे लोगों को बाहर निकाल दिया है।

ऊंची जाति के हिंदू एकता और अखंडता पर भाषण देते नहीं थकते" भारत की। अगर वे सचमुच देश से प्यार करते तो इस तरह का व्यवहार नहीं करते।' उनके लोगों द्वारा निर्मित पर्याप्त साहित्य यह साबित करने के लिए आया है कि वे सिखों पर कितने क्रूर थे। यहां तक कि, वे सिखों को सोने की थाली में 'खालिस्तान' दे रहे हैं। सिखों का कहना है कि उन्हें 'खालिस्तान' नहीं चाहिए, लेकिन ये हिंदू-नाजी, आर्य-समाजवादी, निरंकारी और दुरंकारी हैं, जो अनिच्छुक सिखों से 'खालिस्तान' लेने की भीख मांग रहे हैं। अब तक सिखों ने ऐसे सभी प्रलोभनों का विरोध किया। लेकिन सिखों की आज की मनोदशा को देखते हुए, वे इसे स्वीकार करेंगे - चाहे कुछ भी हो जाए।

अगर और जब ऐसा हुआ तो 'खालिस्तान' बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? हमने अपनी ओर से हमेशा 'खालिस्तान' का विरोध किया है।' हम पीड़ित लोगों को उन सिखों से अलग होने में कोई दिलचस्पी नहीं है जिनकी भारत में सह-पीड़ित के रूप में उपस्थिति हमारे लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के गठन के कारण दलितों और ओबीसी के हितों को नुकसान हुआ है। अगर सिख भी 'खालिस्तान' के साथ चले गए तो इसे और झटका लगेगा। इन उच्च जाति के शोषकों, 5 प्रतिशत आर्य आक्रमणकारियों को देश से कोई प्रेम नहीं है और इसीलिए वे इसे विखंडित करने पर तुले हुए हैं। लेकिन क्या हम इसकी इजाजत दे सकते हैं?

क्या सुन्दरजी फिर बाध्य होंगे?

उन्होंने एक मद्रासी ब्राह्मण, सुंदरजी के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी और 1984 में स्वर्ण मंदिर को नष्ट कर दिया। जब यह नष्ट हो गया, तो उन्होंने खुशी मनाई, खुशी से नृत्य किया और मिठाइयाँ बाँटी। जब हिंदू 'सेना' ने स्वर्ण मंदिर का पुनर्निर्माण किया तो इन्हीं लोगों ने अपनी खुशी दोहराई। जब वह नष्ट हुआ तो वे खुश थे, जब उसका पुनर्निर्माण हुआ तो वे और अधिक खुश थे।

वे किस प्रकार के हत्या-जॉय होंगे, अकाल तख्त को पहले भी कई बार नष्ट किया गया था, लेकिन हर बार इसे ईंट-ईंट करके सिखों ने खुद ही बनाया था। हिंदू माफियाओं ने सरकारी पैसा खर्च कर इसका पुनर्निर्माण क्यों किया? क्या वे नहीं जानते कि ऐसा कृत्य उनका अपमान है. सिख विवेक? तो जब सरकार सेवा द्वारा निर्मित अकाल तख्त को गिराया जा रहा है, तो अब वे क्यों रो रहे हैं? खैर, जब हिंदू रोते हैं तो हमें हंसना चाहिए और जब वे हंसते हैं तो हमें रोना चाहिए।

जो भी हो, अकाल तख्त को नष्ट करने का निर्णय हिंदू-नाज़ियों के चेहरे पर एक तमाचा है। और हमें डर है कि उन्हें फिर से सुंदरजी को बुलाना पड़ सकता है। और यदि कभी हृदयहीन हिंदू इतिहास दोहराते हैं, तो यह 'खालिस्तान' का निश्चित जन्म है। राजीव गांधी पर चाहे जो भी हिंदू-नाजी दबाव हो, हमें उम्मीद है कि वह भारत के विवि-वर्ग के पक्षकार नहीं बनेंगे। हो सकता है कि उन्हें हरियाणा में कांग्रेस की हार का डर सता रहा हो, जहां एक बेईमान हिंदू मुख्यमंत्री है। वह हरियाणा को ऊंची जाति के लिए बचाने के लिए नई पार्टी बना सकते हैं।

राजीव को भ्रमित करने की कोशिश में दिल्ली में काली ताकतें काम कर रही हैं। वह इतना उदार था कि उसने पंजाब को अकालियों, जो सिख जमींदारों की कुलक पार्टी थी, को सौंप दिया। लेकिन स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने वाले नए आतंकवादी सिख जनता और विशेष रूप से दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पंजाब के सच्चे प्रतिनिधि हैं।

किण्वन में सभी अल्पसंख्यक:

उन्हें ध्यान देना चाहिए कि केवल सिख ही उत्तेजना में नहीं हैं। मुस्लिम, ईसाई, दिल्ली की जनजातियाँ, ओ.बी.सी. समान रूप से परेशान हैं। क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि ब्राह्मणवाद हर राष्ट्रीयता के लिए ख़तरा है। इसलिए, जब किसी राष्ट्रीयता को खतरा होता है तो वह जवाबी हमला करने के लिए बाध्य होती है। इसे कहते हैं विरोधाभासों का पैनापन। यह एक स्वस्थ संकेत है. और किसी भी राष्ट्र ने विरोधाभासों को इतना तीव्र नहीं किया है जितना सिखों ने - हालांकि वे आबादी का केवल 2 प्रतिशत हैं। हम नहीं जानते कि मुसलमानों के साथ क्या गलत है जो 15 प्रतिशत हैं। दलित 20 प्रतिशत, और जनजातियाँ 10% और ईसाई 2.5 प्रतिशत हैं। वे सिखों से क्यों नहीं सीखते: कैसे मरना है?"

29. याचिकाकर्ता के वकील ने दो बार प्रस्तुतीकरण किया है (1) कि याचिकाकर्ता, जो प्रश्नपत्र का संपादक, मुद्रक या प्रकाशक नहीं है, उस पर समाचारपत्र में दिए गए लेख के प्रकाशन से उत्पन्न किसी भी अपराध का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। , और (2) कि कथित

अपमानजनक लेख की सामग्री अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत कोई अपराध नहीं बनती है।

30. दूसरे निवेदन को पहले लेते हुए, सबसे पहले यह देखा जा सकता है कि लेख के लेखक श्री वी.टी. राजशेखर ने, वास्तव में, यह विचार पेश किया है कि डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, उच्च जाति के हिंदू दूसरों को भ्रमित करके शासन करते हैं। स्थिति का सही आकलन करने के लिए, दलितों को केवल यह देखना होगा कि ऊंची जाति के हिंदू क्या पसंद करते हैं या क्या नफरत करते हैं। 'आप उनसे प्यार करते हैं जिनसे वे नफरत करते हैं और आप उनसे नफरत करते हैं जिनसे वे प्यार करते हैं' - इस सूत्र को पंजाब की स्थिति पर लागू करें। ऊंची जाति के हिंदू भिंडरावाले और उसके समर्पित लड़कों से नफरत करते हैं, इसलिए दलितों को उनसे प्यार करना चाहिए। सिख धर्म की स्थापना दलित वर्गों (अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग) को उच्च वर्ग के हिंदुओं के उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई थी। दलित, सिख और अन्य उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों का मुद्दा एक ही है। यह भिंडरावाले और उसके लड़के हैं, जो सही मायने में सिख जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि बरनाला, तोहरा और बादल। बेअंतसिंहऔर उनकी पत्नी बिमल खालसा ही सिखों में दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि ज्ञानी ज़ैलसिंह और बूटा सिंह. ऊंची जातियां भारत को विभाजित करने पर तुली हुई हैं। दलित 'खालिस्तान' के निर्माण के खिलाफ हैं क्योंकि इसके परिणामस्वरूप दलितों को नुकसान होगा। उच्च जाति के हिंदू, सिखों को सोने की थाली में 'खालिस्तान' दे रहे हैं, हालांकि सिखों का कहना है कि उन्हें 'खालिस्तान' नहीं चाहिए, लेकिन यह हिंदू-नाजी या आर्य समाजी, निरंकारी या दुरंकारी हैं जो अनिच्छुक सिखों से 'खालिस्तान' लेने की भीख मांग रहे हैं। सिखों ने अब तक ऐसे सभी प्रलोभनों का विरोध किया है, लेकिन सिखों की आज की मनोदशा को देखते हुए, वे इसे स्वीकार करेंगे - चाहे कुछ भी हो जाए। दलितों ने अपनी ओर से सदैव खालिस्तान का विरोध किया है। पीड़ित होने के कारण उन्हें सिखों से अलग होने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिनकी भारत में सह-पीड़ित के रूप में उपस्थिति उनके लिए बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार पाकिस्तान के गठन के परिणामस्वरूप दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों को नुकसान हुआ था, यदि सिख 'खालिस्तान' प्राप्त करने में सफल हो गए तो भी यही स्थिति होगी। उच्च जाति के हिंदुओं, 5 प्रतिशत आर्य आक्रमणकारियों को देश से कोई प्यार नहीं है और यही कारण है कि वे देश को विभाजित करने पर तुले हुए हैं। यदि एक और ऑपरेशन 'ब्लू स्टार' को अंजाम दिया जाता है, तो इससे 'खालिस्तान' का जन्म होगा। दलितों को उम्मीद है कि राजीव गांधी भारत के विभाजन के पक्षकार नहीं बनेंगे। अँधेरी ताकतें उसे भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं। वह इतने उदार थे कि उन्होंने पंजाब को अकालियों को सौंप दिया, जो एक सिख जमींदार की कुलकास पार्टी थी, लेकिन स्वर्ण मंदिर पर कब्ज़ा करने वाले उग्रवादी ही सिख जनता और विशेषकर दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पंजाब के सच्चे प्रतिनिधि हैं। दलित और अन्य उत्पीड़ित अल्पसंख्यक खुद को तभी बचा सकते हैं जब वे अपने अधिकारों के लिए मरने को तैयार हों।

31. नामित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि लेख 'विघटनकारी गतिविधि' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है जैसा कि उप-खंड के खंड (i) और (ii) में दिया गया है (2) अधिनियम की धारा 4 के। हालाँकि, उनके अनुसार, यह लेख धारा 4 की उपधारा (3) के दायरे में आता है।

32. हमारे सामने, प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री आनंद स्वरूप ने तर्क दिया कि यह लेख धारा 3 की उपधारा (3) और धारा 4 की उपधारा (2) के तहत अपराध है। अधिनियम के , जिसके प्रस्तुतीकरण को मेरे विद्वान भाई पुंछी, जे. का समर्थन मिला है।

33. हालाँकि, यह लेख, जैसा कि मैं इसे देखता हूँ, अधिनियम की धारा 3(3) या धारा 4(2) के प्रावधानों के तहत किसी भी तरह का कोई अपराध नहीं बनता है।

34. लेख की सामग्री यह नहीं दर्शाती है कि लेखक ने किसी आतंकवादी कृत्य या किसी आतंकवादी कृत्य की तैयारी के लिए कोई कार्य करने की साजिश रची थी, कि उसने आतंकवादी कृत्य करने का प्रयास किया था या किसी आतंकवादी कृत्य की तैयारी के लिए कोई कार्य किया था या उसने इसकी वकालत की थी या उकसाया था या सलाह दी थी या जैसा कि धारा 3 की उप-धारा (1) में परिभाषित किया गया है, आतंकवादी कृत्य या आतंकवादी कृत्य की तैयारी करने वाले किसी भी कार्य को करने के लिए उकसाया गया या जानबूझकर सहायता प्रदान की गई।< /ए>

35. हालाँकि, अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि भिंडरावाले और बेअंत सिंह की स्तुति करने के तथ्य से यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता ने वकालत की थी आतंकवादी कृत्य का कमीशन.

36. यह मेरी राय है, यह कल्पना को दंगा करने की अनुमति देगा।

37. विचाराधीन लेख के लेखक ने न तो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठाया था और न ही प्रत्यक्ष रूप से भारत की संप्रभुता या क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने की कोशिश की थी या बाधित करने का इरादा किया था। दूसरी ओर, लेखक ने भारत की अखंडता की वकालत की थी और चेतावनी दी थी कि प्रधान मंत्री को उच्च

जाति के हिंदुओं की साजिश से सावधान रहना चाहिए, जो देश के विभाजन पर आमादा हैं। लेखक ने कहा है कि दलित 'खालिस्तान' के निर्माण के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि ऐसा होने पर दलितों को बहुत नुकसान होगा।

38. विचाराधीन लेख के लेखक ने किसी भी कार्रवाई का सुझाव नहीं दिया था, चाहे कार्य द्वारा या भाषण द्वारा या किसी अन्य मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से जिसका उद्देश्य भारत के किसी भी हिस्से को संघया भारत के किसी भी हिस्से के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे का समर्थन किया।

39. राज्य के विद्वान वकील, वरिष्ठ-अधिवक्ता, श्री आनंद स्वरूप ने तर्क दिया कि "अब तक सिखों ने ऐसे सभी प्रलोभनों का विरोध किया है।" लेकिन सिखों की आज की मनोदशा को देखते हुए, चाहे जो भी हो, वे इसे स्वीकार करेंगे" और 'और हमें डर है कि सुंदरजी को फिर से बुलाना पड़ सकता है।' और यदि कभी हृदयहीन हिंदू इतिहास दोहराते हैं, तो यह 'खालिस्तान' का जन्म निश्चित है, लेखक ने खालिस्तान के गठन की भविष्यवाणी की थी।

40. अगर ऐसा है भी तो इसके बनने की भविष्यवाणी की जा रही है. 'खालिस्तान' धारा के उपधारा (2) के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है 4. विधायिका को 'भविष्यवाणी' शब्द के अर्थ के बारे में पता था ' और 'भविष्यवाणी' और चाहता था कि कोई भी व्यक्ति निषिद्ध वस्तु की भविष्यवाणी या भविष्यवाणी न करे, उसने स्पष्ट रूप से ऐसा कहा है, जैसा कि उसने धारा 4 की उप-धारा (3) के तहत ऐसा प्रदान करके किया था। उप-से इन शब्दों की अनुपस्थिति धारा 4 का खंड (2) अर्थपूर्ण है।

41. उपरोक्त कारणों से, मेरा मानना है कि विचाराधीन लेख किसी अपराध का गठन नहीं करता है जैसा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया है।

42. एक बार जब यह मान लिया जाता है कि याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 3 और 4 के संदर्भ में कोई अपराध नहीं किया है, तो जमानत देने का उसका मामला के प्रावधानों के दायरे में नहीं आता है। अधिनियम की धारा 17की उपधारा (5).

43. जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने निचली अदालत या हमारे समक्ष यह तर्क नहीं दिया था कि विचाराधीन लेख आईपीसी की धारा 124-ए और 153-ए के तहत अपराध है।

44. किसी भी मामले में, विचाराधीन लेख की सामग्री राजद्रोह का गठन नहीं करती है जो किधारा 124-ए आईपीसी,के तहत एक अपराध है, क्योंकि लेखक ने ऐसा नहीं कहा था ऐसा कुछ भी जो भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना पैदा कर सकता है। न ही उन्होंने भारत सरकार के प्रति असंतोष भड़काने या भड़काने का प्रयास किया था।

45. जहां तक धारा 153-ए आईपीसी के तहत अपराध का सवाल है, तर्क के लिए यह मानते हुए कि अनुच्छेद इस तरह के अपराध का गठन करता है, तब भी याचिकाकर्ता इसका हकदार है जमानत को बढ़ाया जाना चाहिए, जब इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्री एम.के. बंसल ने याचिकाकर्ता को धारा 153-ए और 120-बी के तहत अपराध के लिए अग्रिम जमानत दे दी थी। , आई.पी.सीजिसको लेकर उनके खिलाफ 14-3-1986 को एफ.आई.आर दर्ज की गई थी।

46. उपर्युक्त कारणों से, याचिकाकर्ता को रुपये की राशि में व्यक्तिगत बांड निष्पादित करने पर रिहा किया जाता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंडीगढ़ की संतुष्टि के लिए 5,000/- (केवल पांच हजार रुपये)।

पूर्ण पीठ का अंतिम आदेश

डी.एस. तेवतिया, एस.एस. दीवान और एम.एम पुंछी, जे.जे.:- बहुमत के फैसले के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को जमानत देने से इनकार किया जाता है।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है

। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

भुवनेश सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

नारनौल, हरियाणा

(1) A.I.R* 1979 S.C.154

(2) A.I,R, 1968 S.C, 110

(3) A.I.R. 1958 S.C. 538.

(4) A.I.R. 1958 S.C. 731.

(5) A.I.R. 1986 S.C. 515